न्यायालयः– सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	–	तनवीर चौधरी आर.जे.एस. (डी.जे.केडर)
वि.फौ.प्र.सं.	–	369/2026
सी.आई.एस. नम्बर	–	397/2026
C.N.R. Number	–	RJHG010010792026

बलकरण सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह उम्र 25 साल निवासी सहजीपुरा हनुमानगढ़ टाऊन।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना, हनुमानगढ़ जंक्शन की प्राथमिकी सं0 371/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितिः–
श्री नरेन्द्र कुमार खिलेरी, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
श्री मनोज कुमार शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक– राज्य की ओर से।

–आदेश– **दिनांकः– 01.06.2026**

1. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन की प्राथमिकी सं0 371/2026 में प्रार्थी/अभियुक्त बलकरण सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 29.05.2026 को खारिज किये जाने पर उसकी ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाने पर नकल प्रार्थना पत्र विद्वान लोक अभियोजक को देकर संबंधित अनुसंधान पत्रावली तलब कर उभय पक्ष की बहस जमानत आवेदन सुनी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 21.05.2026 को परिवादी राजेश हिसारिया ने पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी दुर्गा कॉलोनी हनुमानगढ जं. का निवासी है। प्रार्थी की न्यू धानमंडी हनुमानगढ जं. में हिसारिया ब्रदर्स के नाम से फर्म है। प्रार्थी के आढ़त का काम है, अब कनक का सीजन चल रहा है इसी के चलते किसानों की कनक मंडी में है। किसानों की कनक जो मंडी में हिसारिया ब्रदर्स के पास आई हुई है, काफी दिनों से कनक की बोरी चोरी हो रही थी, एक–दो बोरी डेली की चोरी हो रही थी। काफी दिनों के बाद पता चला कि कोई अज्ञात गाडी न० एचआर–06–बीजी–1516 आती थी और डेली की बोरियां चोरी करके ले जाती थी। लगभग 65–70 बोरी हिसारिया ब्रदर्श के यहां से चोरी हो चुकी है। काफी कोशिशों के बाद ये पकड़ में आये हैं और थाने में इनको दे दिया गया है। अज्ञात गाडी नम्बर का पता कर इन पर कठोर से कठोर कार्यवाही अमल में लायी जावे, अभी तो पता नहीं कितनी फर्मों की भी कनक की बोरियां चोरी हो चुकी हैं...आदि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 371/2026 दर्ज की जाकर अनुसंधान किया जा रहा है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया है। परिवादी ने अज्ञात के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवायी है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का एफ.आई.आर. में नाम नहीं है। जिस वाहन के बारे में परिवादी द्वारा बताया गया है, उसमें प्रार्थी/अभियुक्त के होने की कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त वाहन का मालिक नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त लम्बे समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के गंभीर आरोप है। समाज में दिन–प्रति–दिन चोरी के अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

5. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी रिपोर्ट निम्न है :–

S.No	FIR No. & PS	Case No.	Under Section	Date of Institution	Status	Date of Arrest	Date of Release
	–	–	–	–	–	–	–

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 22.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त बलकरण सिंह की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी उपस्थिति बाबत् पच्चीस हजार रूपये का स्वयं का मुचलका एवं इसी राशि की मौतबिर जमानत विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाये तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

Sd/–

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

8. आदेश आज दिनांक 01.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/–

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

STENO GRADE Ist
MANISH KUMAR
Digitally signed by MANISH KUMAR
Date: 2026.06.05 11:22:30 +0530